


रेयोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382 / 2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।



29° 31' 25.176" N, 79° 45' 18.606" E

29° 31' 24.57" N, 79° 45' 18.95" E

29° 31' 21.606" N, 79° 45' 20.379" E

Legend :-

- Proposed Helipad
- Proposed Motor Road
- Existing Motor Road

(Handwritten signatures and stamps)


अधिकांश अमियन्ता, राष्ट्रीय खण्ड, लो० नि० वि० अल्मोड़ा

अधिकांश अमियन्ता, राष्ट्रीय खण्ड, लो० नि० वि० अल्मोड़ा

वन क्षेत्र अधिकारी जमीनदार

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र. लामगड़ा जिला - अल्मोड़ा

रियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382 / 2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।



I_D	Longitude	Latitude
A	29° 31' 25.182" N	79° 45' 19.366" E
B	29° 31' 24.193" N	79° 45' 19.336" E
C	29° 31' 24.068" N	79° 45' 18.499" E
D	29° 31' 25.176" N	79° 45' 18.606" E

I_D	Longitude	Latitude
1	29° 31' 21.606" N	79° 45' 20.379" E
2	29° 31' 22.556" N	79° 45' 19.936" E
3	29° 31' 23.876" N	79° 45' 19.688" E
4	29° 31' 24.857" N	79° 45' 19.552" E
5	29° 31' 25.691" N	79° 45' 19.440" E
6	29° 31' 25.624" N	79° 45' 19.324" E
7	29° 31' 25.272" N	79° 45' 19.094" E
8	29° 31' 25.185" N	79° 45' 18.619" E

- Legend :-**
- GPS Approach Road
 - helipad
 - Proposed Helipad
 - Approach Road
 - Existing Motor Road

बिला अधिकारी
अल्मोड़ा
जिला प्रशासक
अल्मोड़ा

लमगड़ा प्रशासक
अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

जागेश्वर

उप जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।


(5)

संलग्नक सं0-1.5


प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के माँग का पूर्ण औचित्य


वर्तमान में तहसील लमगड़ा क्षेत्र में कोई भी हैलीपैड नहीं है। कनरा स्थित डोल आश्रम में में वर्षभर देश-विदेश के पर्यटकों के अलावा विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन रहता है इस हैलीपैड के बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उक्त निर्माण हेतु 0.328 है0 वन भूमि प्रस्तावित की गयी है जो न्यूनतम है।


अतः उपरोक्तानुसार हैलीपैड निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।



(केवलानन्द पाण्डे)
वन क्षेत्राधिकारी जागेश्वर
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा।


क.व.


प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।


(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(एम0के0 महतोलिया)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated... 28/02/2025

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.328 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा सं० 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगाड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य 0.328 है० **Dhura sangroli Village (s) in LamgaraTahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the 0.328 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.: -YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.: -YES

Encl: As above



जनपद लमगाड़ा कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

4

Alok Kumar Pandey
District Collector, Almora
अल्मोड़ा.

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated... 28.02.2025

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified **that 0.328 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा सं० 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य 0.328 है० **Dhura sangroli Village (s) in Lamgara Tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.328 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Dhura sangroli** villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above



जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी
अ.

4
Alok Kumar Pandey
 District Collector, Almora

पुस्तक

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act
(FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Alok Kumar Pandey, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 20.02.2025 at time 1:30pm at Almora in which application claiming rights of **Dhura Sangroli Village** measuring **0.328 hac.** for the of मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा सं० 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Lamgara** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.



Place; Almora
जिल्हा समाज कल्याण अधिकाारी
अल्मोड़ा
DATE: 13/02/25

4

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee


अल्मोड़ा.

परियोजना का नाम- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, लमगड़ा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, लमगड़ा

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड का निर्माण हेतु 0.328 है0 वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लमगड़ा) की दिनांक 22.07.24 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम, 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री नन्दन सिंह नगन्याल उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री नन्दन सिंह नगन्याल उप जिलाधिकारी, अध्यक्ष
- 2- श्री केवलानन्द पाण्डे वन क्षेत्राधिकारी, जागेश्वर सदस्य
- 3- श्री निधी कज्जाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी, लमगड़ा (अल्मोड़ा) सदस्य
- 4- श्री वि.के. शर्मा वी0डी0सी0 क्षेत्र सदस्य

Dr. Jai / Bhola
उपजिलाधिकारी
जैनी / भनोली

Dr. Jagdishwar
वन क्षेत्र अधिकारी
जागेश्वर

Dr. Pankaj
वन क्षेत्र अधिकारी
पनुबानौला, (अल्मोड़ा)

Dr. Dhruv
विकास अधिकारी
धुरासंग्रौली

Dr. Anurag
सचिव
क्षेत्र पंचायत सदस्य
धुरासंग्रौली

Dr. Anurag
ग्राम पंचायत-धुरासंग्रौली
वि0 ख0 लमगड़ा, जिला-अल्मोड़ा

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड का निर्माण हेतु 0.328 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित वन क्षेत्राधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छोड़ा में हैलोपैड का निर्माण हेतु 0.326 है० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील लमगड़ा व जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील लमगड़ा व जनपद अल्मोड़ा

परियोजना का नाम- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम- धुरासंगौली

तहसील-लमगड़ा व जिला-अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड का निर्माण हेतु ०.328 है० वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धुरासंगौली द्वारा दिनांक 20.07.2024 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धुरासंगौली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।


प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।




getta
प्रधान
ग्राम पंचायत-धुरासंगौली,
विधानमालप्रखण्ड (अल्मोड़ा)

दिनांक 20.07.2024 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की
 उपस्थिति
 ग्राम पंचायत धुरासंग्रौली

क्रम सं०	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1-	दया किरम पांडे	D.K. Pandey
2-	मुरारचन्द्र पांडे पूर्व प्रधान	Murarchand
3-	बुध्दर सिंह	Budhar Singh
4-	राजेश पांडे	Rajesh
5-	शंकर सिंह	Shankar Singh
6-	शंकर सिंह	Shankar Singh
7-	मनोहर सिंह	Manohar
8-	सुरेश सिंह	Suresh Singh
9-	पुनोद पांडे	Punod
10-	लाजिब सिंह	Lajib
11-	विनोद पांडे	Vinod
12-	शैलेंद्र सिंह पांडे	Shailendra Singh
13-	नारायण	Narayan
14-	कनका देवी	Kanaka Devi
15-	गोपाल पांडे	Gopal Pandey
16-	कुवम पांडे	Kuwan Pandey
17-	सुरेश कुमार	Suresh Kumar
18-	लाजिब कुमार	Lajib Kumar
19-	कुवम सिंह	Kuwan Singh
20-	निरंजन सिंह	Niranjana Singh
21-	कमल पांडे	Kamal
22-	विजय पांडे	Vijay


 ग्राम प्रधान
 ग्राम पंचायत-धुरासंग्रौली,
 पोस्ट-लमगाड़ा, जिला-अल्मोड़ा


 ग्राम प्रधान
 ग्राम पंचायत-धुरासंग्रौली,
 पोस्ट-लमगाड़ा (अल्मोड़ा)


परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषण सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

(13)

संलग्नक सं0-1.7

प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

याचित क्षेत्रफल 1 है0 से कम होने के कारण लागू नहीं



(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एम0के0 महतोलिया)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषण सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

(14)


संलग्नक सं0-1.8

रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

याचित क्षेत्रफल 1 है0 से कम होने के कारण लागू नहीं



(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एम0के0 महतोलिया)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषण सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

15


संलग्नक सं0-1.9

यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व वन भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र।

याचित क्षेत्रफल 1 है0 से कम होने के कारण लागू नहीं



(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एम0के0 महतोलिया)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषण सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

(16)

संलग्नक सं0-1.10

भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार

याचित क्षेत्रफल 1 है0 से कम होने के कारण लागू नहीं



(तनुजा राणा गैड़ा)

अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एम0के0 महतोलिया)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

17

संलग्नक सं0-1.11


विस्तृत लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र

उक्त कार्य हेतु वन भूमि की माँग 5.00 है0 से कम होने के कारण लागू नहीं।



(तनुजा राणा गैड़ा)

अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एम0के0 महतोलिया)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)

अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

18

संलग्नक सं0-2.1

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

वर्तमान में तहसील लमगड़ा क्षेत्र में कोई भी हैलीपैड नहीं है। कनरा स्थित डोल आश्रम में वर्षभर देश-विदेश के पर्यटकों के अलावा विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन रहता है इस हैलीपैड के बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उक्त निर्माण हेतु 0.328 है0 वन भूमि प्रस्तावित की गयी है जो न्यूनतम है।

अतः उपरोक्तानुसार हैलीपैड निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अतः भूमि की उपलब्धता, ढाल न्यूनतम वृक्षों की क्षति तथा आर्थिक व तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित स्थल उपयुक्त पाया गया है इसी स्थल पर निर्माण किया जाएगा। तदनुसार ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का गठन किया गया है। अतः लो0नि0वि0 के पक्ष में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत है।



(तनुजा राणा गैड़ा)

अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एम0के0 महतोलिया)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा
संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा

अहमोड़ा नगरपालिका विकास समिति

संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा
संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा
संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा

CAC
d/s
or
10/10

संस्थापक अध्यक्ष
अहमोड़ा
संस्थापक अध्यक्ष
अहमोड़ा

संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा
संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा
संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा

संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा
संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा
संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा

प्रतिनिधि

(अतिरिक्त अध्यक्ष)
अहमोड़ा नगरपालिका विकास समिति
अहमोड़ा

संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा
संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा
संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा

संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा

संस्थापक अध्यक्ष, अहमोड़ा
अहमोड़ा

(अतिरिक्त अध्यक्ष)
अहमोड़ा नगरपालिका विकास समिति
अहमोड़ा

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषण सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 02.08.2024 को प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के उक्त प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री खुशाल सिंह फर्त्याल, वन दरोगा जलना अनुभाग, श्री राजेन्द्र सिंह विष्ट, वन बीट अधिकारी भटगॉव बीट एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री नारायण नाथ गोस्वामी, राजस्व निरीक्षक एवं श्री सुरेन्द्र सिंह, राजस्व उप निरीक्षक कनरा चौखुटिया जिला अल्मोड़ा, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री एम0के0 महतोलिया, सहायक अभियंता, श्रीमती तनुजा राण गैड़ा, अपर सहायक अभियंता एवं श्री किशोर चन्द्र भट्ट अमीन द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उक्त स्थल के चयन में हैलीपैड हेतु $40 \times 55 \text{मी}^2 = 0.220$ है0 एवं एप्रोच मार्ग हेतु $180 \times 6 = 0.108$ है0 इस प्रकार कुल 0.328 हे0 वन पंचायत भूमि की आवश्यकता होगी। इस चुने गये स्थल पर लगभग 235 वृक्ष चीड़, बॉज, काफल, अकेशिया प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।


उक्त परियोजन हेतु वैकल्पिक स्थल उपलब्ध नहीं है।


प्रभावित होने वाली वन पंचायत भूमि ग्राम धुरासंग्रोली में चीड़, काफल, बॉज, अकेशिया, बुर्रांश प्रजाति प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.4 है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 29.523185 79.755553 , 29.523151 79.755348 , 29.522724 79.755617 है।


चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नहीं है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा। प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हैलीपैड निर्माण में ही कर लिया जायेगा।


राजेन्द्र सिंह


सहायक अभियंता,
राजस्व खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा.


अधिसायी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा



व. द.


किशोर चन्द्र
अमीन


राजस्व वि० नि० वि०
अल्मोड़ा


वन क्षेत्र अधिकारी
जागेश्वर
पनुवानौला, (अल्मोड़ा)


सहायक अभियंता
लमगड़ा


प्रथम श्रेणीय जनधिकारी
सिविल एवं संयुक्त वन प्रभाग
अल्मोड़ा।


विभागाध्यक्ष
अल्मोड़ा.


उप जिला अधिकारी
मनोली (अल्मोड़ा)


परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।


23


संलग्नक सं0-2.6

लैण्ड शेड्यूल


भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ग्राम	खेत सं0	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है0)
गैर जमींदारी खतौनी खाता सं0 80 श्रेणी 9(3) क वन पंचायत भूमि	अल्मोड़ा	लमगड़ा	धुरासंग्रौली	8511	40	55	0.220
				8510	180	6	0.108
योग							0.328
नाप भूमि	-	-	-
कुल योग							0.328



(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



ब. ज. ज. ज. (बिष्णु जलाल)
तहसीलदार
लमगड़ा


(सम0के0 महतोलिया)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


उप जिलाधिकारी
(एन0एस0, नगन्धाल)
मुख्य जिलाधिकारी
लमगड़ा


(विभोर गुप्ता)
अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(आ.के.के.कुमर पाण्डेय)
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा।


राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र सं0 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।


24


संलग्नक सं0-2.7


प्रपत्र-16

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण

क्रम सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल(हे0में)
1	आरक्षित वन भूमि	-	-	-
2	सिविल सोयम भूमि	-	-	-
3	वन पंचायत भूमि	180	6	0.108
		40	55	0.220
				0.328
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	-	-	-
5	नाप भूमि	-	-	-
	योग मोटर मार्ग	180	6	0.110
	योग हैलीपैड	40	55	0.220
	कुल योग			0.328


(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(एम0के0 महतोल्या)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

Not to Scale

बार चार्ट

परियोजना का नाम:- मा10 मुख्यमंत्री जी घोषण सं0 382 / 2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छडौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।



भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल (है0 में)	चिन्ह
वन पंचायत भूमि	0.328	

Teja
10/3/24

(संयोजक महतोलिया)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

te
(विभोर गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

वृष
वन क्षेत्र अधिकारी
जागरेश्वर
पनुदानौला, (अल्मोड़ा)

वृष
व.द.

प्रभारीय ननाधिकारी
सिविल एवं संगम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।


परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषण सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।


26


क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सिविल भूमि पर (10 वर्ष दरें)

लागू नहीं

al


(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(सुम0के0 महतोलिया)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषण सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।


27

क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उपर्युक्ता प्रमाण-पत्र।


लागू नहीं



(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एम0के0 महतोल्या)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषण सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

(28)


प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को बहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

लागू नहीं



(तनुजा राणा गैड़ा)

अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(पंकज महतोलिया)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ीजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

पथ वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 36 पौध

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई	इकाई दर (₹0)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.180 कि०मी०	97.00	17.46
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.180 कि०मी०	584.00	105.12
3	फैन्सिंग/ट्री गार्ड	36 पौध	725.00	26100.00
4	गढ़दा खुदान (0.30x0.30x0.45)	36 पौध	7.33	263.88
5	पौधों का मूल्य	36 पौध	5.89	212.04
9	अन्य कार्य	0.180 कि०मी०	200.00	36.00
योग प्रथम चरण -				26734.50

द्वितीय चरण

1	गढ़दा भरण कार्य (0.30x0.30x0.45)	36 पौध	1.15	41.40
2	पौधों का मूल्य	36 पौध	1.15	41.40
3	पौध ढुलान कार्य	36 पौध	6.39	230.04
4	पौधारोपण व थावलाबन्दी	36 पौध	2.06	74.16
5	निराई, गुड़ाई व मल्लिगं (दो बार)	36 पौध	0.76	27.36
6	खाद व दवा पर व्यय	0.180 है०	0.22	0.040
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	8 Month	11800	94400.00
8	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पौलीथीन क्रय करना	0.180 कि०मी०	1085.00	195.30
9	अन्य कार्य	0.180 कि०मी०	200.00	36.00
योग द्वितीय चरण -				95045.70
योग- प्रथम चरण + द्वितीय चरण -				121780.20

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष अनुरक्षण कार्य	12 Month	3000.00	750.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	0.180 कि०मी०	350.00	63.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	0.180 कि०मी०	225.00	40.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	0.180 कि०मी०	310.00	55.80
3	अन्य कार्य	0.180 कि०मी०	4000.00	720.00
योग:- (प्रथम वर्ष रख रखाव)				1629.30

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई	इकाई दर (₹0)	योग
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष अनुरक्षण कार्य	12 Month	4000.00	750.00
2	अन्य कार्य	0.180 कि०मी०	4000.00	720.00
योग:- (द्वितीय वर्ष रख रखाव)				1470.00

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष अनुरक्षण कार्य	12 Month	4000.00	750.00
2	अन्य कार्य	0.180 कि०मी०	4000.00	720.00
योग:- (तृतीय वर्ष रख रखाव)				1470.00

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य	12 Month	4000.00	750.00
2	अन्य कार्य	0.180 कि०मी०	4000.00	720.00
योग:- (चतुर्थ वर्ष रख रखाव)				1470.00

वृक्षारोपण का पांचवे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवे वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	4000.00	750.00
2	अन्य कार्य	0.180	कि०मी०	4000.00	720.00
योग:-(पांचवे वर्ष रख रखाव)					1470.00

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	4000.00	750.00
2	अन्य कार्य	0.180	कि०मी०	4000.00	720.00
योग:-(छठे वर्ष रख रखाव)					1470.00

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवे वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	4000.00	750.00
2	अन्य कार्य	0.180	कि०मी०	200.00	36.00
योग:-(सातवां वर्ष रख रखाव)					786.00

वृक्षारोपण का आठवां वर्ष का रख-रखाव


1	रोपण वर्ष के उपरान्त आठवां वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	4000.00	750.00
2	अन्य कार्य	0.180	कि०मी०	200.00	36.00
योग:-(आठवां वर्ष रख रखाव)					786.00

वृक्षारोपण का नवे वर्ष का रख-रखाव


1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवे वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	4000.00	750.00
2	अन्य कार्य	0.180	कि०मी०	400.00	72.00
योग:-(नवे वर्ष रख रखाव)					822.00

वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त दसवें वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	4000.00	750.00
2	अन्य कार्य	0.180	कि०मी०	400.00	72.00
योग:-(दसवें वर्ष रख रखाव)					822.00
				कुल योग-	133975.50


व.क


वन क्षेत्र अधिकारी
जागेश्वर
पनवानौला, (अल्मोड़ा)


प्रभागीय वन अधिकारी
सिविल एवं सोथम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।


परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।


(31)


संलग्नक सं0-2.13

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा वहन की जायेगी।


(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(रमेश महतोलिया)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(विभोर गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

32

काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में दस गुना वृक्षों अथवा न्यूनतम 100 वृक्षों के रोपण हेतु प्राक्कलन मय रख रखाव वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम-धुरासंगरौली क्षेत्रफल 2.5 है0
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 2350

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई	इकाई दर (रु0)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	2.500 है0	97.00	242.50
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	2.500 है0	584.00	1460.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी(फेन्सिंग)	2.500 है0	26460.00	66150.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिकी कार्य हेतु प्राविधान	2.500 है0	7750.00	19375.00
5	गढ़दा खुदान (0.30x0.30x0.45)	2350 पौध	7.33	17225.50
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु0 प्रति है0)	2.500 है0	485.00	1212.50
7	पौधों की कीमत(प्रथम वर्ष)	2350 पौध	5.89	13841.50
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	2.500 है0	400.00	1000.00
9	अन्य कार्य	2.500 है0	2000.00	5000.00
योग प्रथम चरण -				125507.00

द्वितीय चरण

1	गढ़दा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	2350 पौध	1.15	2702.50
2	पौधों की कीमत(द्वितीय वर्ष)	2350 पौध	1.15	2702.50
3	पौध ढुलान कार्य	2350 पौध	6.39	15016.50
4	पौधारोपण व थावलाबन्दी	2350 पौध	2.06	4841.00
5	निराई, गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	2350 पौध	0.76	1786.00
6	खाद व दवा पर व्यय	2.500 है0	420.00	1050.00
7	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (596रु0x1 है0x18माह)	8 Mor	5960	47680.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	8.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	2.500 है0	350.00	875.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4मी0 की पट्टी साफ करना	2.500 है0	225.00	562.50
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	2.500 है0	400.00	1000.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी,सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्क्यूमेटेशन आदि कार्य	2.500 है0	700.00	1750.00
10	अन्य कार्य	2.500 है0	2000.00	5000.00
योग द्वितीय चरण -				84966.00
योग- प्रथम चरण + द्वितीय चरण -				210473.00

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष अनुरक्षण कार्य	12 Mor	36000.00	432000.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	2.500 है0	350.00	875.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	2.500 है0	225.00	562.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	2.500 है0	200.00	500.00
3	अन्य कार्य	2.500 है0	2000.00	5000.00
योग:- (प्रथम वर्ष रख रखाव)				438937.50

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई	इकाई दर (रु0)	योग
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष अनुरक्षण कार्य	12 Mor	36000.00	432000.00
2	अन्य कार्य	2.500 है0	2000.00	5000.00
योग:- (द्वितीय वर्ष रख रखाव)				437000.00

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Mor	36000.00	432000.00
2	अन्य कार्य	2.500	है०	2000.00	5000.00
योग:-(तृतीय वर्ष रख रखाव)					437000.00

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Mor	36000.00	432000.00
2	अन्य कार्य	2.500	है०	2000.00	5000.00
योग:-(चतुर्थ वर्ष रख रखाव)					437000.00

वृक्षारोपण का पांचवे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवे वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Mor	36000.00	432000.00
2	अन्य कार्य	2.500	है०	2000.00	5000.00
योग:-(पांचवे वर्ष रख रखाव)					437000.00

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Mor	36000.00	432000.00
2	अन्य कार्य	2.500	है०	2000.00	5000.00
योग:-(छठे वर्ष रख रखाव)					437000.00

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवे वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Mor	36000.00	432000.00
2	अन्य कार्य	2.500	है०	2000.00	5000.00
योग:-(सातवां वर्ष रख रखाव)					437000.00

वृक्षारोपण का आठवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त आठवे वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Mor	36000.00	432000.00
2	अन्य कार्य	2.500	है०	2000.00	5000.00
योग:-(आठवां वर्ष रख रखाव)					437000.00

वृक्षारोपण का नवे वर्ष का रख-रखाव


1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवे वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Mor	36000.00	432000.00
2	अन्य कार्य	2.500	है०	2000.00	5000.00
योग:-(नवे वर्ष रख रखाव)					437000.00


वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त दसवें वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Mor	36000.00	432000.00
2	अन्य कार्य	2.500	है०	2000.00	5000.00
योग:-(दसवें वर्ष रख रखाव)					437000.00

				कुल योग-	4582410.50
				या	4582000.00


क.दा.


वन क्षेत्र अधिकारी
जागेश्वर
पनुवानैला, (अल्मोड़ा)


प्रभागीय सहायिका
सिविल एवं सौर्यम वन प्रशासक
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

34

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दि0 02.08.2024 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यासवार विवरण

क्रम सं0	भूमि की श्रेणी	वन प्लॉक/कम्पार्टमेंट/खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										90 से अधिक	योग
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90			
1	आरक्षित वन भूमि				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	सिविल सोयम				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	वन पंचायत	धुरासंगौली (छड़ौजा)	चीड़	Pinus roxburghii	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
			बॉज	Quercus leucotrichophora	7	141	59	9	1	0	0	0	0	0	0	217
			काफल	Myrica esculenta	0	1	4	4	1	0	0	0	0	0	0	10
			अकेशिया		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			बुरंश	Rhododendron	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	संरक्षित वन				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग वन भूमि				7	146	67	13	2	0	0	0	0	0	235	
	नाप भूमि				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग नाप भूमि				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	कुल योग				7	146	67	13	2	0	0	0	0	0	235	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
व. द.

[Handwritten signature]
वन क्षेत्र अधिकारी
जागेश्वर
पनवानौला, (अल्मोड़ा)

[Handwritten signature]
तहसीलदार
लमगड़ा

[Handwritten signature]
प्रशासकीय अधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

र. क्षेत्र. तहसील. जिला - अल्मोड़ा

[Handwritten signature]
उपनिरीक्षक
क्षेत्र (अल्मोड़ा) पनवानौला
तहसील लमगड़ा
जिला - अल्मोड़ा

[Handwritten signature]
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

[Handwritten signature]
उप जिला अधिकारी
पनौली (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्रम सं0	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग										
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग
1	आरक्षित वन भूमि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	सिविल सोयम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	वन पंचायत	7	146	67	13	2	0	0	0	0	0	235
4	संरक्षित वन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग वन भूमि	7	146	67	13	2	0	0	0	0	0	235
5	नाप भूमि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	7	146	67	13	2	0	0	0	0	0	235

(Signature)
व.प.

(Signature)
वन क्षेत्र अधिकारी
जागेश्वर
धनुचानौला, (अल्मोड़ा)

(Signature)
प्रभारीय वन अधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।


परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

क्रम सं०	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1	आरक्षित वन भूमि	0	0	
2	सिविल सोंयम	0	0	
3	वन पंचायत	235	235	
4	संरक्षित वन	0	0	
	योग वन भूमि	235	235	
5	नाप भूमि	0	0	
	कुल योग	235	235	

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 235 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 235 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


क.प.


वन क्षेत्र अधिकारी
जामेश्वर
पनवानीला, (अल्मोड़ा)


प्रभागीय जनसहकारी
सिविल एवं सौधम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

प्रपत्र- 16

परियोजना का नाम- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

बॉज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

प्रसंगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये भरे द्वारा दिनों.....को स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बॉज के वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई-

क्रम सं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	वानस्पतिक नाम	व्यासवर्ग										योग		
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90से अधिक			
1	धुरासंग्रौली वन पंचायत	बॉज	Quercus leucotrichophara	7	141	59	9	1	0	0	0	0	0	0	0	217
			योग	7	141	59	9	1	0	0	0	0	0	0	0	217

(Signature)
व.द.

(Signature)
वन क्षेत्र अधिकारी
जागेश्वर
धनवानौला, (अल्मोड़ा)

(Signature)

प्रशासीय जनधिकारी
सिविल एवं सौधम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

(38)


संलग्नक सं0-2.17


अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र

उक्त परियोजना में वृक्षों का पातन निहित होने के कारण लागू नहीं।



(तनुजा राणा गैड़ा)


अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(रमेश महतोल्या)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।


(39)


संलग्नक सं0-2.18


प्रपत्र-24


न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


(तनुजा राणा गैड़ा)



अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(सम0के0 महतोलिया)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(विभोर गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(केवलानन्द पाण्डे)
वन क्षेत्राधिकारी जागेश्वर
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।


व.प.


प्रभागीय वनाधिकारी
(प्रदीप कुमार धौलखण्डे) एवं सोयम वन प्रभाग,
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा।
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषण सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

संलग्नक सं0-2.19


मलवा निस्तारण योजना का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से उत्पादित मलवे का निस्तारण हैलीपैड निर्माण में कर लिया जायेगा।



(तनुजा राणा गैड़ा)

अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एम0के0 महतोलिया)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

42

संलग्नक सं0-2.21


यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 कि०मी० की परिधि में आता है तो

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र

उक्त परियोजना राष्ट्रीय पार्क के परिधि से 10 कि०मी० से अधिक की दूरी में होने के कारण लागू नहीं।



(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


(एम०के० महतोलिया)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

43

संलग्नक सं0-2.22

यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अर्न्तगत आता है तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहाकार बोर्ड भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति

उक्त परियोजना राष्ट्रीय पार्क के परिधि से 10 कि०मी० से अधिक की दूरी में होने के कारण लागू नहीं।



(तनुजा राणा गैड़ा)

अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

(एम०के० महतोलिया)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)

अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

(44)

संलग्नक सं0-2.23

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


(तनुजा राणा गैड़ा)

अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

(केवलानन्द पाण्डे)


वन क्षेत्राधिकारी जागेश्वर
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।


(एस0के0 महतोलिया)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

45

परियोजना का नाम- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छडौजा में हैलीपैड का निर्माण।

आम सभा की अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 20.07.2024 को ग्रामसभा धुससंगौली की बैठक आहूत की गयी।
बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया की उक्त योजना के निर्माण में हम ग्रामवासियों को कोई
आपत्ति नहीं है।



Yada
ग्राम पंचायत-धुससंगौली
विकास खण्ड-लमगड़ा (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड का निर्माण।

वन पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 20.07.2024 को ग्रामसभा खानौली की बैठक आहूत की गयी। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया की उक्त योजना के निर्माण में वन पंचायत खानौली की भूमि दिये जाने में को कोई आपत्ति नहीं है।

पंच

सरपंच

**वन पंचायत सरपंच
धूरा संग्रौली (कीना)
वि.ख. लमगड़ा (अल्मोड़ा)**

तिलोक - Tilak
 (श्रीधरलाल) - श्रीधरलाल
 चन्दराम - चन्दराम


परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा सं० 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

(५१)


संलग्नक सं०-2.25

प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्रांकल्लन

लागू नहीं



(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



(एम०के० महतोल्या)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

48

संलग्नक सं0-2.26

अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण

लागू नहीं



(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

(एम0के0 महतोलिया)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।


49


संलग्नक सं0 2.27


कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।



(केवलानन्द पाण्डे)
वन क्षेत्राधिकारी जागेश्वर
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।



(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(बिर्खा जलाल)
तहसीलदार
लमगड़ा



र-द


(एम0के0 महतोलिया)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


उप जिलाधिकारी
(एन0एस0 नगन्याले)
उप जिलाधिकारी
लमगड़ा


(पी.के. बठनागर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।


(विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा


उपनिरीक्षक
क्षेत्रखण्ड, i.c. वन प्रभाग लुटिया
तहसील लमगड़ा
जिला - अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

(54)

संलग्नक सं0-2.29

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ीजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

(55)

walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.


- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।



(तनुजा राणा गैड़ा)

अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एस0के0 महतोलिया)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

मानक शर्तें:


1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।


परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।


(51)

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।


(तनुजा राणा गैड़ा)


अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(एम0के0 महतोलिया)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।


संलग्नक सं0-2.31


(58)

मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तों का अनुपालन प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा किया जायेगा।


(तनुजा राणा गैड़ा)


अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(एम0के0 महतोल्या)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(विभोर गुप्ता)

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

(59)

संलग्नक सं0-2.32


भू-वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लो0नि0वि0 द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।



(तनुजा राणा गैड़ा)

अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एम0के0 महतोलिया)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।


60


संलग्नक सं0-2.33

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।


यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।



(केवलानन्द पाण्डे)
वन क्षेत्राधिकारी जागेश्वर
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।



(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



ब्रिज लाल
(ब्रिज लाल)
तहसीलदार
लमगड़ा


महतोल्या



(एम0के0 महतोल्या)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


महतोल्या
(एम0एस0 नगन्याल)
सहायक जिलाधिकारी
लमगड़ा


प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।


(विभार गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

4
(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी
लमगड़ा


उपनिरीक्षक
क्षेत्र प्रमोड... जिला - अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

(61)

संलग्नक सं0-2.34

प्रपत्र-38

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।



(तनुजा राणा गैड़ा)

अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

(एम0के0 महतोलिया)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

62

संलग्नक सं0-2.35

प्रपत्र-39


परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।



(तनुजा राणा गैड़ा)

अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एम0के0 महतोलिया)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

63

संलग्नक सं0-2.36

प्रपत्र-40

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

क्रम सं0	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या
1	धुरासंगौली	142	677
	योग	142	677

(तनुजा राणा गैड़ा)

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

(एम0के0 महतोलिया)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

(विभोर गुप्ता)

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

69

संलग्नक सं0-2.38

प्रपत्र-51


एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।



(तनुजा राणा गैड़ा)

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एस0के0 महतोलिया)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

संलग्नक सं0-2.39

66

प्रपत्र-41


वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण पत्र

लागू नहीं



(तनुजा राणा गैड़ा)

अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एम0के0 महतोल्या)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

संलग्नक सं0-2.40

वन भूमि की लीज अवधि का प्रमाण पत्र

67

लागू नहीं



(तनुजा राणा गैड़ा)

अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एस0के0 महतोलिया)

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

(69)

संलग्नक सं0-2.42

आर0सी0सी पीलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आर0सी0सी0 पीलरों पर आने वाले व्ययभार का वहन लो0नि0वि0, द्वारा किया जायेगा।



(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एम0के0 महतोलिया)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।




(विभोर गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।


70

संलग्नक सं0-2.43

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्य सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र
लागू नहीं



(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(एस0के0 महतोलिया)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



(विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

6

फैक्ट शीट

1. प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल हैक्टेयर में -

आरक्षित वन भूमि	- शून्य
सिविल एवं सोयम वन भूमि	- शून्य है0
वन पंचायत भूमि	- 0.328 है0
निजी भूमि	- शून्य है0
योग	- 0.328 है0

2. प्रस्तावक विभाग का नाम -प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,अल्मोड़ा।

3. वन प्रभाग का नाम -सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा।

4. प्रस्ताव बाईडिंग किया गया है -

✓
हाँ/नहीं

5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है -

✓
हाँ/नहीं

6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है

✓
हाँ/नहीं

7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है

✓
हाँ/नहीं

8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का धनत्व दर्शाया गया है

✓
हाँ/नहीं

9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है

✓
हाँ/नहीं

10. बॉज प्रजाति के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन

संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है

✓
हाँ/नहीं

11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा

उन्हे कम करने का प्रयास किया गया है

मार्ग के संरेखण में आने वाले वृक्षों की संख्या कम करने हेतु विभिन्न स्थलों पर प्रयास किया गया जहाँ अवस्थित वृक्षों की मध्य दूरी अधिक है उसी के अनुसार ग्रेडियन्ड निर्धारित कर मार्ग निर्माण के प्रस्ताव का गठन किया गया है। ताकि वृक्षों का कटान न्यूनतम रहे।

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।

12

12. संरेखन में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक

रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है

हाँ/नहीं

12. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है

हाँ/नहीं

13. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है

हाँ/नहीं

14. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है

हाँ/नहीं

15. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है

हाँ/नहीं

16. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है

हाँ/नहीं

17. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कॉरीडोर का हिस्सा है

हाँ/नहीं

यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है

हाँ/नहीं

18. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है

हाँ/नहीं

19. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी

भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करे - संलग्न है।

20. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है

हाँ/नहीं

21. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है

हाँ/नहीं

22. क्या प्रस्तावित परियोजना में संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है

हाँ/नहीं

23. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय (उल्लंघन नहीं हुआ है।)

24. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनाएँ/वैकल्पिक संरेखन मानचित्र पर दर्शाये गये हैं

हाँ/नहीं


25. वैकल्पिक संरेखनों को निरस्त किये जाने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) संलग्न है


परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।


73

26. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है
(5 है0 अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) हाँ/नहीं
लागू नहीं
27. मानचित्र व बारचार्ट में एकरूपता है हाँ/नहीं
28. मलुवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है
अथवा हाँ/नहीं
- मलुवे के निस्तारण के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है हाँ/नहीं
29. राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है हाँ/नहीं
30. क्या प्रस्तावत में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटों प्रतियाँ मूल में संलग्न है
यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गयी है तो क्या वे सत्यापित है हाँ/नहीं
31. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है हाँ/नहीं
32. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है हाँ/नहीं
33. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है हाँ/नहीं
34. क्या चैक लीस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न है हाँ/नहीं
35. मलुवा निस्तारण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र की वे लो0नि0वि0 द्वारा
प्रस्तावित मलुवा निस्तारण योजना से सहमत है हाँ/नहीं
36. प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र की वृक्षारोपण हेतु जो क्षेत्र चयनित किया गया है
वह प्रबन्धकीय एवं वृक्षारोपण दृष्टिकोण से उचित है हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट शीट एवं चैक लीस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गयी है।


(तनुजा राणा गैड़ा)
अपर सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(एम0के0 महतोलिया)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।


(विभोर गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम
का संक्षिप्त विवरण।

मा10 मुख्यमंत्री जी घोषण सं0 382/2023
के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के
विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के
निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का
कार्य।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

पत्रावली में संलग्न है

ग) परियोजना की लागत।
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

230.00 लाख

इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भूमि का
चयन किया गया भूमि की उपलब्धता के
कारण वैकल्पिक स्थल निरस्त किया गया।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जानेके लिए)

लागू नहीं

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संभावना है।

पर्यटन एवं अनेक रोजगार।

2.

कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण।

1. आरक्षित भूमि	-	शून्य है0
2. वन पंचायत भूमि	-	0.328 है0
3. सिविल सोयम भूमि	-	शून्य है0
2. नाप भूमि	-	शून्य है0
कुल भूमि	-	0.328 है0

3.

परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

किसी भी परिवार को नहीं हटाया जाना है।

क) परिवारों की संख्या

शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के
परिवारों की संख्या

शून्य

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने
के लिए)

लागू नहीं है।

4.

क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता
(वचनवद्धता संलग्न की जाये)
निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण
पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न है।

75

संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान- अल्मोड़ा।

(इं० विमोर गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....


(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)


परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषण सं0 382/2023 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में डोल आश्रम के निकट छड़ौजा में हैलीपैड निर्माण का कार्य।


60

प्रस्तावित परियोजना से कोई जल स्रोत प्रभावित न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से कोई भी जल स्रोत प्रभावित नहीं होता है।


(केवलानन्द पाण्डे)
वन क्षेत्राधिकारी जागेश्वर


क-द


प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।